न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4233-दो/2013 - विरुद्ध आदेश दिनांक 15-10-2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 734/2010-11 अपील

1- घनश्याम दुबे पुत्र श्यामलाल दुबे
2- जयशंकर पुत्र श्यामलाल दुबे
दोनों निवासी हनुमान गंज बार्ड क-1
तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना ----आवेदकगण

विरुद्ध

जयनन्दन सोनी पुत्र सुखनन्दन सोनी
निवासी हनुमान गंज बार्ड क-1
तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अरूण कुमार गौतम)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री राजेन्द्र पाण्डेय)

आ दे श

(आज दिनांक २५-07-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 734/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-13 के विरुद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार वृत्त सज्जनपुर तहसील रामपुर बाघेलान के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर बताया कि उसके स्वामित्व की ग्राम करहा स्थित भूमि सर्वे कमांक 570/2क/2 रकबा 0.15 डि. है जो

आवेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 576/1 रकबा 1.00 एकड़ से लगी हुई है किन्तु अनावेदकगण द्वारा आवेदक की भूमि के अंश भाग 37 कड़ी उत्तर दक्षिण यानि 25 फिट एंव 56 कड़ी पूर्व पश्चिम यानि 37 फिट कुल 925 वर्गफुट पर कब्जा कर लिया है जो हटाया जाय। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 22 अ 70/05-05 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 16-10-08 पारित किया तथा धारा 250 का आवेदन निरस्त करते हुये उभय पक्ष को सीमा विवाद निवटाने के लिये सीमांकन कराने के सुझाव दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान ने प्रकरण कमांक 6/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-1-11 से अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन अमान्य करते हुये अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 734/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-13 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 12-1-11 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वह हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 15-10-13 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकत आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों ने लेखी बहस प्रस्तुत की तथा मौखिक तर्क भी दिये, जिन पर विचार किया गया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अभिलेख के अवलोकन पर प्रकरण में विचार करना है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 15-10-13 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत अपील के विलम्ब को क्षमा करते हुये मामला गुणदोष

पर निराकृत करने हेतु प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की भूल की है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 16-10-08 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान के समक्ष अपील दिनांक 23-9-09 को अर्थात लगभग 11 माह के विलम्ब से प्रस्तुत हुई है एंव अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के कारण बताये हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 में व्यवस्था दी गई है कि आदेश की सॅसूचना हितबद्ध पक्षकार को नहीं दी गई एंव आदेश पारित कर दिया गया, आदेश की जानकारी के दर्शाए गए श्रोत पर अविश्वास नहीं किया जा सकता और ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील समयावधि में मानी जावेगी। किशोर सिंह विरूद्ध राजाराम एंव अन्य 2010 रा0नि0 111 में व्यवस्था दी गई है कि आवेदक/अनावेदक को आदेश की सूचना नहीं दी गई, आदेश की जानकारी होने पर अपील समयावधि में मानी गई है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 734/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-13 में निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं क्योंकि न्याय के लिये मामले का निराकरण गुणागुण पर होना चाहिये। वैसे भी आवेदकगण के पास अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 734/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-13 उचित पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर